भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1

02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: किसान संगठनों के साथ वार्ता

1. श्री पी. सी. गद्दीगौदरः
श्री बैन्नी बेहननः
श्री ए. राजाः
श्री मारगनी भरतः
श्री असादुद्दीन औवैसीः
श्री राहुल रमेश शेवालेः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री डी. के. सुरेशः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्री वी. के. श्रीकंदनः
कुंवर दानिश अलीः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
श्री रवनीत सिंहः
प्रो. सौगत रायः
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः
श्रीमती माला रायः
श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्रीमती नुसरत जहां:
श्रीमती सुमलता अम्बरीशः
श्री तालारी रंगैय्याः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः
श्री एस.आर. पार्थिबनः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान गत दो माह से प्रदर्शन कर रहे हैं तथा उक्त कानूनों को वापिस लेने की मांग कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदर्शन के दौरान कई किसानों की मृत्यु हो गई है या वे बीमार पड़ गए हैं तथा यदि हां, तो विरोध के दौरान मृत हुए/बीमार हुए किसानों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन किसानों के परिवारों को मुआवज़ा देने का है जिनकी उक्त प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ कोई वार्ता शुरू की है तथा किसान संघों के साथ की गई बैठकों/वार्ता की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा समाधन के प्रयासों के क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ङ) किसान संगठनों/संघों द्वारा की गई मुख्य मांग का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए किसानों की जायज मांगों पर विचार करने की सोच रही है; और

(छ) क्या सरकार का हाल ही में पारित किसान कानूनों को वापिस लेने/निरसन करने का कोई विचार है तथा यदि नहीं, तो उक्त किसान कानूनों का निरसन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): कुछ किसान यूनियन और उनके सदस्य नए अधिनियमित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

(ख): भारत सरकार ने इन किसान यूनियन के साथ चर्चा के दौरान कई बार अपील की थी कि उन्हें ठंड और कोविड की स्थिति को देखते हुए बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं को घर जाने का अनुरोध करना चाहिए।

(ग): जी नहीं।

(घ) से (च): जी, हां। मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और आंदोलनकारी किसानों की यूनियनों के बीच अब तक 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन के लिए एक के बाद एक प्रस्ताव रखे। बैठकों का विवरण **अनुबंध- ।** पर दिया गया है। आंदोलनकारी किसान यूनियनों की माँगें तीन कृषि अधिनियमों अर्थात "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020", "कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020" और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020", से संबंधित थी।

(छ): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कृषि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन में रोक लगा दी है।

लो.स.अता.प्र.सं.1

अनुबंध-I

क्र.सं.	**आंदोलनकारी किसान यूनियनों के साथ बातचीत के दौरे**	**बैठक की तारीख**
1	पहला दौर	14.10.2020
2	दूसरा दौर	13.11.2020
3	तीसरा दौर	01.12.2020
4	चौथा दौर	03.12.2020
5	पांचवां दौर	05.12.2020
6	छठा दौर	30.12.2020
7	सातवां दौर	04.01.2021
8	आठवां दौर	08.01.2021
9	नौवां दौर	15.01.2021
10	दसवां दौर	20.01.2021
11	ग्यारहवां दौर	22.01.2021

*****